न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –13/2016 , 14/2016, 15/2016 जिला अलवर

सुषमा उर्फ गुड्डी पुत्री जगन प्रसाद पत्नी नरेन्द्र, जाति ब्राह्मण, निवासी नाटौज हाल निवासी डीग, तहसील डीग, जिला भरतपुर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. मुकेश पुत्र श्री जगनप्रसाद , जाति ब्राह्मण, निवासी नाटौज
2. सीयाराम पुत्र श्री जगनप्रसाद, जाति ब्राह्मण, निवासी नाटौज
3. जगन प्रसाद पुत्र राधेलाल , जाति ब्राह्मण, निवासी नाटौज, तहसील कठूमर, जिला अलवर (मृतक) तर्क
4. ग्रम पंचायत नाटौज, पंचायत समिति कठूमर जरिये सरपंच ग्रम पंचायत नाटौज, तहसील कठूमर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर दिनांक 6.11.2015 बाबत इन्तकाल संख्या 671 दिनांक 21.12.2013 वाके ग्रम नाटौज, ग्रम पंचायत नाटौज

अपील संख्या 14/2016 जिला अलवर

सुषमा उर्फ गुड्डी पुत्री जगन प्रसाद पत्नी नरेन्द्र, जाति ब्राह्मण, निवासी नाटौज हाल निवासी डीग, तहसील डीग, जिला भरतपुर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. मुकेश पुत्र श्री जगनप्रसाद , जाति ब्राह्मण, निवासी नाटौज
2. सीयाराम पुत्र श्री जगनप्रसाद, जाति ब्राह्मण, निवासी नाटौज
3. जगन प्रसाद पुत्र राधेलाल , जाति ब्राह्मण, निवासी नाटौज, तहसील कठूमर, जिला अलवर (मृतक) तर्क
4. ग्रम पंचायत सौंखरी, पंचायत समिति कठूमर जरिये सरपंच ग्रम पंचायत सौंखरी, तहसील कठूमर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर दिनांक 6.11.2015 बाबत इन्तकाल संख्या 3029 दिनांक 20.12.2013 वाके ग्रम सौंखरी, ग्रम पंचायत सौंखरी

अपील संख्या 15/2016

सुषमा उर्फ गुड्डी पुत्री जगन प्रसाद पत्नी नरेन्द्र, जाति ब्राह्मण, निवासी नाटौज हाल निवासी डीग, तहसील डीग, जिला भरतपुर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. मुकेश पुत्र श्री जगनप्रसाद , जाति ब्राह्मण, निवासी नाटौज
2. सीयाराम पुत्र श्री जगनप्रसाद, जाति ब्राह्मण, निवासी नाटौज
3. जगन प्रसाद पुत्र राधेलाल , जाति ब्राह्मण, निवासी नाटौज, तहसील कठूमर, जिला अलवर (मृतक) तर्क
4. ग्रम पंचायत नाटौज, पंचायत समिति कठूमर जरिये सरपंच ग्रम पंचायत नाटौज, तहसील कठूमर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर दिनांक 6.11.2015 बाबत इन्तकाल संख्या 631 दिनांक 21.12.2013 वाके ग्रम नंगला जादू, ग्रम पंचायत नाटौज

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री विजय सिंह
2. वकील रेस्पोंडेन्टश्री संजय शर्मा

निर्णय

दिनांक –17.10.2017

यह तीनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार कठूर , जिला अलवर के निर्णय दिनांक 6.11.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । तीनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दू समान होने के कारण इन तीनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति तीनों पत्रावलियों में रखी जावे । तीनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम नाटौज, तहसील कठूमर, जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 530, 532, 614, 616 कुल किता 4 रकबा 1.75 हैक्टेयर , ग्रम सौंखरी, तहसील कठूमर, जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 746, 762 763 766, 767 रकबा 3.27 हैक्टेयर एवं ग्रम नगलाजादू , तहसील कठूमर, जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 11, 12, 17, 18, 43, 65, 76 कुल किता 7 रकबा 4.72 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्से का खातेदार जगन प्रसाद पुत्र राधेलाल था जिसके द्वारा पंजीकृत दान पत्र दिनांक 18.10.2013 मुकेश, सीयाराम पि. जगनप्रसाद रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम कर दिया । पंजीकृत दान पत्र के आधार पर ग्रम नाटौज स्थित आराजी का नामांतरकरण संख्या 671 ग्रम पंचायत नाटौज द्वारा दिनांक 21.12.2013 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 मुकेश व सियाराम के नाम स्वीकार किया गया , ग्रम सौखरी स्थित आराजी का नामांतरकरण संख्या 3029 पंजीकृत दान पत्र के आधार पर ग्रम पंचायत सौखरी द्वारा दिनांक 20.12.2013 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 मुकेश व सीयाराम पुत्रान जगन के नाम स्वीकार किया गया एवं ग्रम नंगला जादू स्थित आराजी का नामांतरकरण संख्या 631 पंजीकृत दान पत्र के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 मुकेश व सीयाराम पुत्रान जगन प्रसाद के नाम ग्रम पंचायत नाटौज द्वारा दिनांक 21.12.2013 को स्वीकार किया गया ।

उपरोक्त तीनों नामांतरकरणों से व्यथित होकर खातेदार जगन प्रसाद की पुत्री अपीलान्ट सुषमा उर्फ गुड्डी द्वारा पृथक पृथक अपीलें न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कठूमर, जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत की कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है और उनके पिता जगन प्रसाद को दादा राधेलाल से विरासत में मिली थी जिसमें अपीलान्ट का जन्म से ही अधिकार है । अपीलान्ट ने रेस्पोंडेन्ट् 1 से 3 व अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध अपने अधिकारों की घोषणा हेतु एक घोषणात्मक दावा न्यायालय उप खण्ड अकिारी कठूमर में उनवानी सुषमा उर्फ गुड्डी बनाम जगन प्रसाद दायर कर रखा है जिसमें दिनांक 18.10.2013 को रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने का स्थगन आदेश पारित किया हुआ है । उप पंजीयक द्वारा दानपत्र दिनांक 18.10.13 एवं इसके आधार पर तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण स्थगन आदेश की अवज्ञा में तय किये हैं । उपरोक्त नामांतरकरणों के खिलाफ प्रस्तुत अपीलों में उप खण्ड अधिकारी कठूमर ने आदेश दिनांक 8.7.2015 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरणों को निरस्त करते हुये प्रकरण पक्षकारान को सुनकर विधिनुसार निस्तारण करने हेतु तहसीलदार कठूमर को प्रतिप्रेषित किये हैं । तहसीलदार कठूमर ने न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कठूमर के आदेश दिनांक 8.7.15 की अनुपालना में अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.11.2015 पारित कर प्रश्नगत नामांतरक्रणों को ग्रम पंचायत द्वारा विधिनुसार तस्दीक किया जाना मानते हुये उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं माना है एवं नामांतरकरणों पर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय के आधार पर लगाया गया निरस्तीकरण का अंकन हटाये जाने हेतु हल्का पटवारी को लिखे जाने के आदेश दिये हैं । तहसीलदार कठूमर के उक्त आदेश दिनांक 6.11.2015 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा पृथक पृथक तीन अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कठूमर दिनांक 6.11.15 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

तीनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है जो अपीलान्ट के दादा राधे लाल से अपीलान्ट के पिता जगन प्रसाद को विरासत में मिली थी । जगन प्रसाद के 2 पुत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा एक पुत्री अपीलान्ट है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष में अपीलान्ट का विवादित भूमि में जन्म से ही अधिकार है । विवादित भूमि पैतृक होने से जगन प्रसाद को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दान पत्र पंजीबद्ध कराने का अधिकार नहीं था । उनका कहना था कि अपीलान्ट ने अधिकारों की घोषणा का वाद न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कठूमर में प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 18.1013 को रेकार्ड की स्थिति यथावत रखे जाने का स्थगन आदेश पारित हुआ था जिसकी प्रति अपीलान्ट ने उप पंजीयक एवं तहसीलदार कठूमर के माध्यम से उप पंजीयक कार्यालय एवं ऑफिस कानूनगो, हल्का पटवारी एवं ग्रम पंचायत को दे दी थी , लेकिन स्थगन आदेश के बावजूद जगन प्रसाद द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दानपत्र दिनांक 18.10.13 को पंजीबद्ध करा लिया एवं उक्त दान पत्र के आधार पर ग्रम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक कर दिये , जो न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से प्रभावशून्य एवं अवैध है । उनका कहना था कि ग्रम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में आवश्यक है । तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश से अवैध व प्रभावशून्य नामांतरकरणों को यथावत रखने में विधिक त्रुटि की है । अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में उनका कहना था कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कठूमर दिनांक 6.11.15 के खिलाफ अपीलें 25.1.16 को प्रस्तुत की थी । अपीलान्ट ग्रमीण परिवेश की पर्दानसीन महिला होने से कानून से अनभिज्ञ थी एवं अपीलाधीन आदेश की नकल लेने में समय लगने से अपीलें प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है जिसे न्यायहित में क्षमा कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे । अतः तीनों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि तीनों अपीलें स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है । अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2015 को प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 26.11.2015 को नकल जारी करदी गई थी इसके बाद भी अपीलें विलम्ब से पेश की है तथा विलम्ब का कारण भी कपोल कल्पित है । मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी बाद में प्रस्तुत किया है । उनका कहना था कि अपीलान्ट द्वारा अधिकारों की घोषणा का दावा दिनांक 18.10.2013 को किया था जिसमें एकपक्षिय टी.आई. दिनांक 18.10.2013 को हुई थी एवं दान पत्र भी दिनांक 18.10.2013 को पंजीबद्ध हुआ था और पंजीबद्ध दान पत्र के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम ग्रम पंचायतों द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किये हैं । उनका कहना था कि ग्रम पंचायत के समक्ष रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था क्योंकि रजिस्टर्ड दानपत्र को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है । अपीलान्ट को यदि रजिस्टर्ड दान पत्र से कोई आपत्ति है तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है । जब तक रजिस्टर्ड दान पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता तब तक उसके आधार पर तस्दीक नामांतरकरणों को विधिक रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता । उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तहसीलदार कठूमर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.11.15 से ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक इन्तकालों को विधिनुसार मानते हुये उनमें किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं माना है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है । अतः तीनों अपील अपीलान्ट खारिज की जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 29 एस.सी., आर.आर. टी. 2014–15 पृष्ठ 467, डब्ल्यू.एल.सी. 2010 (यू.सी.) 1, 2014 आर.बी.जे. 111, डी.एन.जे. 2014 (3) राज. 1132, डी.एन.जे. 2015 (1)राज. 105 एवं 2014 डब्ल्यू. एल.सी. (4) राज. 515 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैनें प्रकरणों के अभिलेख को देखा एवं प्रकरणो के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये न्याय हित में विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलें प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरणों में प्रश्नगत तीनों नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा खातेदार जगन

प्रसाद के रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 18.10.2013 के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 मुकेश व सीयाराम पुत्रान जगन प्रसाद के नाम स्वीकार किये हैं । अपीलान्ट खातेदार जगन प्रसाद की पुत्री होने के आधार पर पिता की सम्पत्ति मे हक चाहती है । अपीलान्ट सुषमा ने घोषणात्मक व हुक्मईम्तनाई दवामी का एक दावा उनवानी मु. सुषमा बनाम जगन प्रसाद व अन्य न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कठूमर के समक्ष दिनांक 18.10.2013 को प्रस्तुत किया हुआ है । उप खण्ड अधिकारी कठूमर ने प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलान्ट की अपीलो में पारित निर्णय दिनांक 8.7.2015 में अंकित किया है कि न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कठूमर की आर्डर सीट दिनांक 18.10.2013 संलग्न् है जिसमें उक्त आराजी बाबत न्यायालय द्वारा रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत स्टे आदेश दिया गया । इन्तकाल ग्रम पंचायत द्वारा फैसल किये गये हैं जो स्टे आदेश के बाद फैसल किये गये हैं । चूंकि यह प्रमाणित था कि अपीलार्थी के वाद में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा दिनांक 18.10.2013 को रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन था, लेकिन ग्रम पंचायतों द्वारा स्थगन आदेश को नजरन्दाज करते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण स्थगन की दिनांक 18.10.13 को उप पंजीयक द्वारा तस्दीक दान पत्र के आधार पर तस्दीक किये हैं, जो स्पष्ट रूप से स्थगन आदेश की अवहेलना है । अपीलान्ट का वाद राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उसके हक हकूकों का निर्धारण होना है । उप खण्ड अधिकारी ने प्रश्नगत नामांतरकरणों को निरस्त करते हुये प्रकरण पक्षकारान को सुनकर विधिनुसार निस्तारण करने हेतु तहसीलदार कठूमर को प्रतिप्रेषित किये गये और इन रिमाण्ड आदेश की अनुपालना में तहसीलदार कठूमर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.11.15 से ग्रम पंचायतों द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरणों को विधिअनुसार पारित किया जाना मानते हुये उनमें किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं माना है तथा नामांतरकरणों पर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय के आधार पर लगाया गया निरस्तीकरण का अंकन हटाये जाने हेतु हल्का पटवारी को लिखे जाने का आदेश दिया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट विवादित भूमि के खातेदार जगन प्रसाद की जायन्दा पुत्री हैं और उसके हक हकूकों का वाद न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कठूमर के समक्ष विचाराधीन है जिसमें दिनांक 18.10.13 को रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के स्थगन के बावजूद दान पत्र के आधार पर ग्रम पंचायतों द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण दिनांक 20.12.2013 एवं 21.12.2013 को तस्दीक किये हैं, जो स्थगन आदेश की अवज्ञा में तस्दीक होने से विधिसम्यक नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.11.15 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरणों को विधिअनुसार पारित किया जाना माना है, जो त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरूद्ध है । प्रकरण में न्यायिक दृष्टि से उप खण्ड अधिकारी कठूमर के समक्ष अपीलार्थी के हक हकूकों के वाद के अंतिम निर्णय तक नामांतरकरणो की कार्यवाही स्थगित रखी जाना एवं वाद के निर्णय के अनुसार ही नामांतरकरण तय किये जाना उचित एवं विधिसम्यक होगा । परिणामस्वरूप तीनों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कठूमर दिनांक 6.11.2015 निरस्त किये जाते हैं तथा पक्षकारों के मध्य विचाराधीन वाद के अंतिम निर्णय तक के लिये नामांतरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जाती है तथा वाद के अंतिम निर्णय के अनुसार ही नामांतरकरण तय किये जावे ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर